अनुसूची–1
बिहार सरकार
सूचना प्रावैधिकी विभाग

अधिसूचना

पत्रांकः– 01–(स्था०)–सू०प्रा०–36 / 2023..999...... पटना, दिनांकः– 04/06/2026

भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल, बिहार सूचना प्रावैधिकी सेवा के गठन और उसमें भर्त्ती की पद्धति तथा सेवा शर्त्तों को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियमावली बनाते हैंः–

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ ।–**

(1) यह नियमावली **"बिहार सूचना प्रावैधिकी सेवा नियमावली, 2026"** कही जा सकेगी।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।

(3) यह राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगी।

2. **परिभाषाएँ।– जब तक इस विषय या संदर्भ में कुछ अन्यथा न हो, इस नियमावली में**

(क) **''आयोग''** से अभिप्रेत है ''बिहार लोक सेवा आयोग'';

(ख) **''नियुक्ति प्राधिकार''** से अभिप्रेत है बिहार के राज्यपाल;

(ग) **''राज्यपाल''** से अभिप्रेत है ''बिहार के राज्यपाल'';

(घ) **''राज्य सरकार''** से अभिप्रेत है ''बिहार की राज्य सरकार'';

(ङ) **''वर्ष''** से अभिप्रेत है ''वित्तीय वर्ष अर्थात् 1 अप्रैल से अगले वर्ष के 31 मार्च तक'' की अवधि;

(च) **''वर्ष के अंदर रिक्ति''** से अभिप्रेत है सेवा में नये पदों के सृजन, सेवानिवृत्ति, मृत्यु, सेवा से हटाये जाने और पदच्यूत किये जाने से उपलब्ध रिक्ति;

(छ) **''विभाग''** से अभिप्रेत है ''सूचना प्रावैधिकी विभाग'';

(ज) **''विभागीय प्रोन्नति समिति''** से अभिप्रेत है सरकार द्वारा समय–समय पर गठित विभागीय प्रोन्नति समिति;

(झ) **''सेवा''** से अभिप्रेत है ''बिहार सूचना प्रावैधिकी सेवा'';

क्रमशः 2/–

(ञ) **''सेवा का सदस्य''** से अभिप्रेत है इस नियमावली के उपबंधों के अधीन ''बिहार सूचना प्रावैधिकी सेवा'' में नियुक्त एवं शामिल व्यक्ति;

(त) **''संवर्ग नियंत्रण प्राधिकार''** से अभिप्रेत है ''प्रधान सचिव/सचिव, सूचना प्रावैधिकी विभाग''।

3. संवर्ग का गठन ।–

(क) इस संवर्ग की संरचना निम्नवत् होगी :–

क्र०सं०	पदनाम	कोटि
1.	**सहायक जिला ई.–गवर्नेंस पदाधिकारी**	मूल कोटि (राजपत्रित)
2.	**जिला ई.–गवर्नेंस पदाधिकारी**	प्रथम प्रोन्नति स्तर (राजपत्रित)
3.	**उप निदेशक, ई–गवर्नेंस (मुख्यालय स्तर पर)**	द्वितीय प्रोन्नति स्तर (राजपत्रित)
4.	**संयुक्त निदेशक (Planning)/ संयुक्त निदेशक (Projects) (मुख्यालय स्तर पर)**	तृतीय प्रोन्नति स्तर (राजपत्रित)

(ख) उपर्युक्त संवर्ग का पदबल एवं वेतनमान/वेतनस्तर वही होगा, जैसा राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर अवधारित किया जाय।

(ग) यह संवर्ग राजपत्रित राज्य स्तरीय संवर्ग होगा जो सूचना प्रावैधिकी विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में रहेगा।

4. अधियाचना ।–

संवर्ग नियंत्रण प्राधिकार द्वारा प्रत्येक वर्ष 31 मार्च तक सेवा में नियुक्ति हेतु रिक्तियाँ निर्धारित की जाएगी जिसे आयोग को प्रत्येक वर्ष 30 अप्रैल तक अधियाचित किया जायेगा।

5. आरक्षण ।–

इस सेवा में नियुक्ति एवं प्रोन्नति हेतु राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर अवधारित आरक्षण के प्रावधान लागू रहेंगे।

क्रमशः 3/–

6. उम्र सीमा ।–

सीधी भर्त्ती के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु आवेदन आमंत्रित करने वाले वर्ष के एक अगस्त को इक्कीस वर्ष से कम नहीं होगी। अधिकतम आयु सीमा वही होगी जो राज्य सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय–समय पर अवधारित की जाय।

7. मूल कोटि में नियुक्ति ।–

(i) मूल कोटि के 50 प्रतिशत पदों को सीधी भर्ती से बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा अन्य सेवाओं जैसे बिहार अभियंत्रण सेवा संवर्ग के लिए निर्धारित मानदण्डों के समरूप प्रक्रियाओं का अनुपालन करते हुए आयोजित प्रतियोगिता परीक्षा के परीक्षाफल के आधार पर प्राप्त अनुशंसा के आधार पर भरा जायेगा। शेष 50 प्रतिशत पद विभागीय प्रोन्नति समिति की अनुशंसा से बिहार सूचना प्रावैधिकी अवर सेवा संवर्ग से पदोन्नति के द्वारा भरा जायेगा।

(ii) **सीधी भर्ती के लिए शैक्षणिक अर्हत्ता–** किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से Computer Science/Information Technology/Electronics & Equivalent संकाय में बी०ई० / बी०टेक० / एम०सी०ए०।

8. परिवीक्षा ।–

(क) आयोग की अनुशंसा के आधार पर सीधी भर्ती से नियुक्त सरकारी सेवक 01(एक) वर्ष तक परिवीक्षा पर रहेंगे। परिवीक्षा अवधि में सेवा संतोषजनक नहीं होने पर इसे 01(एक) और वर्ष के लिए विस्तारित किया जा सकेगा। विस्तारित अवधि में भी सेवा संतोषजनक नहीं रहने पर सेवा समाप्त की जा सकेगी।

(ख) नियुक्ति के बाद प्रथम वेतन वृद्धि के पश्चात् अगली वेतन वृद्धि तभी अनुमान्य हागी जब विहित विभागीय परीक्षा में उत्तीर्णता प्राप्त कर ली जाय।

9. प्रशिक्षण एवं विभागीय परीक्षा ।–

(क) सेवा में सीधी भर्ती से नियुक्त पदाधिकारियों को सरकार द्वारा यथा निर्धारित प्रशिक्षण प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

(ख) केन्द्रीय परीक्षा समिति, राजस्व पर्षद, बिहार, पटना द्वारा विभागीय परीक्षा के विषय, पाठ्यक्रम एवं प्रक्रिया का निर्धारण विभाग के परामर्श एवं सामान्य प्रशासन विभाग की सहमति से किया जायेगा एवं परीक्षा का संचालन किया जायेगा।

क्रमशः 4/–

सेवा में सीधी भर्ती से नियुक्त पदाधिकारियों को राजस्व पर्षद द्वारा आयोजित विभागीय परीक्षा में उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा।

10. सम्पुष्टि।–

परिवीक्ष्यमान रूप में सीधी भर्ती से नियुक्त पदाधिकारी परिवीक्षा अवधि समाप्त होने पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन सेवा में सम्पुष्टि का पात्र होगा :–

(क) विहित विभागीय परीक्षा में उत्तीर्णता प्राप्त कर लिया हो;

(ख) यथानिर्धारित प्रवेशकालीन प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया हो और प्रतिशक्षण के अंत में, यदि कोई परीक्षा हो, तो उसमें उत्तीर्ण हो चुका हो, एवं

(ग) इस अवधि में उसका आचरण एवं सेवा संतोषजनक रहा हो।

11. विभागीय प्रोन्नति समिति।–

विभागीय प्रोन्नति समिति का गठन विभाग द्वारा पृथक आदेश से किया जायेगा।

12. वरीयता।–

(i) इस सेवा के सदस्यों की वरीयता का निर्धारण राज्य सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय–समय पर निर्धारित सिद्धांतों एवं प्रक्रिया के अनुसार होगी।

(ii) एक ही वर्ष में सीधी भर्ती तथा प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति की स्थिति में सीधी भर्ती से नियुक्त पदाधिकारी प्रोन्नति से नियुक्त पदाधिकारियों से कनीय होंगे।

13. कालावधि।–

सेवा के विभिन्न ग्रेडो में प्रोन्नति हेतु न्यूनतम कालावधि वही होगा, जो समय–समय पर राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किया जाय।

14. प्रोन्नति।–

सेवा सम्पुष्टि एवं विभागीय परीक्षा में उत्तीर्ण होने के पश्चात् संवर्ग के उच्चतर पदों पर प्रोन्नति, वरीयता–सह–योग्यता के आधार पर विभागीय प्रोन्नति समिति क अनुशंसा के आधार पर दी जायेगी। प्रोन्नति हेतु सरकार द्वारा समय–समय पर यथा निर्धारित मापदंड संवर्ग में भी लागू होंगे।

15. अनुशासनिक कार्रवाई।–बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 (समय–समय पर यथा संशोधित) के प्रावधान संवर्ग में भी प्रभावी होगें।

क्रमशः 5/–

16. विनियम बनाने की शक्ति।–

इस नियमावली के प्रावधानों को प्रभावी बनाने के लिए आवश्यकतानुसार सामान्य प्रशासन विभाग एवं विधि विभाग की सहमति से, विनियमावली बना सकेगा।

17. विसंगतियों/शंकाओं का निराकरण।–

इस नियमावली के प्रावधानों के कार्यान्वयन से संबंधित सभी विसगंतियों/शंकाओं के निराकरण की शक्ति राज्य सरकार में निहित होगी।

18. अवशिष्ट मामले।– जिन विषयों के संदर्भ में इस नियमावली में विशिष्ट रूप से प्रावधान नहीं किया जा सका है, उनके संदर्भ में राज्य सरकार द्वारा समकक्ष स्तर के कार्मिकों के संदर्भ में किये गए प्रावधानों से इस सेवा के सदस्य भी शासित होंगे।

19. निरसन एवं व्यावृत्ति :–

इस नियमावली के संदर्भ में पूर्व निर्गत सभी नियमावली/निर्देश आदि एतदद्वारा निरसित समझे जाएँगे। ऐसे निरसन के बाद भी उक्त नियमावली/निर्देश आदि के तहत किए गए कार्य एवं की गई कार्रवाई इस नियमावली के तहत किए गए कार्य समझे जाएँगे।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

4/6/26

(अभय कुमार सिंह)
सरकार के सचिव

ज्ञापांक: 01–(स्था०)–सू०प्रा०–36/2023 999 पटना, दिनांक 04/06/2026
प्रतिलिपि: अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, पटना/अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को सी०डी० की दो प्रतियों के साथ राजपत्र के अगले गजट में प्रकाशनार्थ अग्रसारित।

मुद्रित गजट की 500 (पाँच सौ) प्रतियाँ सूचना प्रावैधिकी विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

4/6/26
सरकार के सचिव

ज्ञापांक: 01–(स्था०)–सू०प्रा०–36/2023 999 पटना, दिनांक 04/06/2026
प्रतिलिपि: महामहिम राज्यपाल के सचिव/मुख्यमंत्री के सचिव/मुख्य सचिव/सभी अपर मुख्य सचिव/सभी प्रधान सचिव/सभी सचिव/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

4/6/26
सरकार के सचिव